न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 11/2019

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) लवाण

प्रार्थी

बनाम

1. रामपाल पुत्र रामकुवांर
2. श्योजी पुत्र रामकुवांर
3. गोपाल पुत्र रामकुवांर
4. गोपी पुत्री रामकुवांर
5. रूपा पुत्री रामकुवांर
6. गुल्ली पुत्री रामकुवांर

जाति मीना निवासी पीपल्या चैनपुरा तहसील लवाण जिला दौसा।

7. बैंक ऑफ इण्डिया शाखा तूंगा हि. गोपाल, रामपाल, श्योजी

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 232 आरटीए

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: श्री विश्राम गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 लगा. 6 उपस्थित।
: श्री कुंजबिहारी शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 7 उपस्थित।

:–निर्णयः–

दिनांकः 24.12.2024

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील लवाण ने प्रतिनिधि राजस्थान सरकार की हैसियत से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की अनुपालना में यह रेफरेन्स इस न्यायालय में पेश किया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम गुढाकीरतवास तहसील लवाण स्थित भूमि खसरा नम्बर 189 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 193 रकबा 13 बिस्वा, ख0नं0 199 रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 202 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, ख0नं0 227 रकबा 6 बिस्वा, ख0नं0 229 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, ख0नं0 204 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा सम्वत 2003 में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकॉर्ड थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2018 में उक्त भूमि के परिवर्तित खसरा नम्बर 46 रकबा 19 बीघा 9 बिस्वा बना। भू–प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041–2060 की संक्रिया में खसरा नम्बर 46 से खसरा नम्बर 317 रकबा 0.20 है0 बना। आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी दौसा के आदेश दिनांक 20.6.1989 के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 317 रकबा 0.20 है0 का आवंटन रेस्पोडेन्ट के पिता रामकुवांर पुत्र [illegible] जाति मीना निवासी पीपल्या चैनपुरा नाम आंवटित की गई, जो जरिये नामांतरकरण संख्या 44 दिनांक 17.[illegible].1989 के द्वारा आवंटी रामकुवांर पुत्र चन्दा मीना निवासी पीपल्या चैनपुरा के नाम मय खातेदार की रिकॉर्ड हुई। आवंटन के 10 वर्ष पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 161 दिनांक 10.5.2000 से उक्त भूमि रामकुवांर पुत्र चन्दा मीना निवासी पीपल्या चैनपुरा के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। जमाबन्दी संवत 2059–62 ग्राम गुढाकीरतवास के खाता संख्या 87 में उल्लेखित भूमि खसरा नम्बर 317 रकबा 0.20 है0 किस्म बारानी–3 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Su[illegible]a Pareek
Date: 2025.02.03 11:11:59 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खातेदार रामकुवांर पुत्र चन्दा मीना के फौत होने पर विरासत रामपाल, श्योजी, गोपाल पिता रामकुवांर, मंगली बेवा रामकुवांर के नाम जरिये नामान्तरकरण सं. 224 दिनांक 5.8.2002 के नाम दर्ज हुई। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2075–78 में खाता सं. 114 ग्राम गुढाकीरतवास के अनुसार खसरा नम्बर 317 रकबा 0.20 है0 जरिये नामान्तरकरण सं0 546 दिनांक 3.10.2016 के द्वारा रामपाल, श्योजी, गोपाल पिता रामकुवांर हि. 3/4 बैंक ऑफ इण्डिया शाखा तूंगा मूर्तहीन दर्ज हुआ है। अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकार्ड रही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं.1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर ऐसी जलोद गैर मुमकिन भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये है। अतः तहसीलदार लवाण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि ग्राम गुढाकीरतवास तहसील लवाण स्थित प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 317 रकबा 0.20 है0 भूमि शुरू से ही काबिल काश्त भूमि रही है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण के पूर्वज रामकुंवार पुत्र चन्दा मीना को विधिवत रूप से आवंटित की गई है व राजस्व रिकॉर्ड में आवंटन के गैर खातेदार दर्ज किया जाकर अंकन किया गया है। अप्रार्थीगण के पूर्वज द्वारा उक्त भूमि को काश्त करने में लाखों रूपये खर्च किये है, जिस पर काफी वर्षो से अप्रार्थीगण के पूर्वज एवं अप्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है तथा वर्तमान में अप्रार्थीगण का कब्जा है। अप्रार्थीगण के पूर्वज रामकुंवार के फौत हो जाने पर विरासत रामपाल,श्योजी,गोपाल पिता रामकुंवार, मंगली बेवा रामकुंवार के नाम जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 224 दिनांक 05.08.2002 दर्ज हुई है। जिससे अप्रार्थीगण व उसके पूवर्ज काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है। आज दिन भी उक्त भूमि मौके पर कोई नदी, नाले, जलप्रवाह की भूमि नहीं है। वर्तमान प्रकरण में अब्दुल रहमान बनाम सरकार के प्रावधान व दृष्टान्त लागु नहीं होते है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 317 रकबा 0.20 है0 के साबिक खसरा नम्बर 189 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 193 रकबा 13 बिस्वा, ख0नं0 199 रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 202 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, ख0नं0 227 रकबा 6 बिस्वा, ख0नं0 229 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, ख0नं0 204 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा सम्वत 2003 में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकॉर्ड थी। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकॉर्ड रही है व जमाबन्दी सम्वत 2075–78 में उक्त भूमि रामपाल, गोपाल, श्योजी पुत्रान रामकुंवार, मंगली पत्नि रामकुंवार की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। ऐसी स्थिति में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार लवाण को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार लवाण को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:11:59 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा